



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

कं.4092/अका./संभं./2022

भोपाल दिनांक 16-11-2022

संशोधित अधिसूचना

{ विधि स्नातक पाठ्यक्रमों (सत्र 2023-24) हेतु आवेदन की तिथियों में संशोधन}

पूर्व में जारी अधिसूचना कं 3230/अका./संभं./विधि/2022 दिनांक 03.10.2022 द्वारा घोषित तिथियों में आंशिक संशोधन करते हुए सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है, कि सत्र 2023-24 के लिए विधि स्नातक पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबंधता/ अस्थाई संबंधता की निरंतरता हेतु ऑनलाईन आवेदन (शुल्क सहित) प्रस्तुत करने की संशोधित निर्धारित तिथियां निम्नानुसार है:-

1	नवीन विधि महाविद्यालयों एवं नवीन विधि पाठ्यक्रमों के लिए संबंधता शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के साथ आवेदन तिथि	30.11.2022 तक
2	नवीन विधि महाविद्यालयों एवं नवीन विधि पाठ्यक्रमों के लिए संबंधता आवेदन तिथि (मूल शुल्क राशि का 50% विलम्ब शुल्क के साथ) 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के साथ आवेदन तिथि	दिनांक 01.12.2022 से 16.12.2022 तक
3	पूर्व संचालित शासकीय /अशासकीय विधि महाविद्यालयों विधि पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबंधता की निरंतरता/अस्थाई संबंधता हेतु शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के साथ आवेदन तिथि	30.11.2022 तक
4	पूर्व संचालित शासकीय /अशासकीय विधि महाविद्यालयों विधि पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबंधता की निरंतरता/अस्थाई संबंधता हेतु आवेदन तिथि (मूल शुल्क राशि का 50% विलम्ब शुल्क के साथ) 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के साथ आवेदन तिथि	दिनांक 01.12.2022 से 16.12.2022 तक

नोट:-

- उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि 16.12.2022 तक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे, जिसके साथ शुल्क राशि जमा करना अनिवार्य है।
- इसके उपरंत 07 दिवस की अवधि में आनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय के संबंधता शाखा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आगामी कार्यवाही करना संभव नहीं होगा।
- आगामी शिक्षण सत्र 2023-24 प्रारंभ होने के पूर्व आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल एवं बीसीआई नई दिल्ली की अनुमति विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आगामी सत्र हेतु जारी यह संबंधता पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- शासकीय महाविद्यालयों में परिनियम-28 के अंतर्गत प्राचार्य/प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक आदि की नियुक्ति एवं परिनियम-27 के अन्य प्रावधानों की पूर्ति करना अनिवार्य है।
- शिक्षकों की सत्यापित सूची आवेदन के साथ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की जाए।
- उपरोक्त अनुसार अनुमति प्राप्त ना होने पर तथा परिनियम-27 एवं 28 के उपबंधों की पूर्ति ना होने पर विद्यार्थियों को प्रवेश ना दिया जाए। यदि प्रवेश दिए जाते हैं तो अमान्य होंगे तथा समस्त दायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा।
- सत्र 2024-25 के लिए नियमानुसार समय पर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आदेशानुसार

कुलसचिव
भोपाल, दिनांक-16-11-2022

4092
पु.कमांक-----/अकादमी/2022
प्रतिलिपि:-

- बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,भोपाल से संबंध समस्त शास. एवं अशा. विधि महाविद्यालयों के प्राचार्य की ओर पालनाथ।
- अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनाथ।
- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग सतपुडा भवन भोपाल की ओर सूचनाथ।
- सचिव, बार कॉउंसिल ऑफ इण्डिया 21 रोज इवेन्सू इन्टीरनैशनल ऐरिया नई दिल्ली 110002
- कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से कुलपति/कुलसचिव जी को सूचनाथ।
- उपकुलसचिव परीक्षा/गोपनीय की ओर सूचनाथ।
- वेबसाईट प्रभाषी, उपरोक्त अधिसूचना को वेबसाईट पर उपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- संबंधित नस्ती।

उपकुलसचिव अकादमी